सहायक कलक्टर ...
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

15/5/24

पत्रावली पेश/ पक्षकार उपस्थित।
प्रार्थी का प्रा० पत्र खारिज किया जाता है
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
पत्रावली शामिल मिसल को पत्रावली पर नतीजा अनुसार
लेकर नम्बर रजिस्टर कम हो। पत्रावली मूलवाद
के साथ संलग्न रहे।

sd/-

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
114 / 2022	25.07.2022	15.04.2025

उनवान

1. महेन्द्रा पुत्री रामचन्द पत्नी महावीर सिंह जाति जाट निवासी हटूण्डी तह मुण्डावर हाल निवासी कालीपहाडी तह0 मुण्डावर, अलवर

—: प्रार्थी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र भीमसिंह पौत्र रामचन्द जाति जाट निवासी हटूण्डी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. राहूल पुत्र भीमसिंह पौत्र रामचन्द जाति जाट निवासी हटूण्डी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. लक्ष्मी पत्नी भीमसिंह पौत्र रामचन्द जाति जाट निवासी हटूण्डी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. मुकेश पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश
5. विक्रम सिह पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश
6. रेणू पुत्री रामेश्वर उर्फ रमेश
7. रामरति पत्नी रामेश्वर उर्फ रमेश जातियान जाट निवासीयान हटूण्डी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. शेरसिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी हटूण्डी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. गायत्री पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी हटूण्डी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
10. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर, अलवर

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री सरजीत चौधरी
अप्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री रणवीर सिंह यादव

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थीया को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उक्त वाद के समर्थन में मिन प्रार्थीया ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे मिन प्रार्थीया का केस पूर्णतया प्रायमा फैसाई आयद वो साबित है। जिसमें मिन प्रार्थीया को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
3. यह है कि वर्तमान सेटलमेंट सम्वत 2071 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख०न० 500 रकबा 0.53 हैक०, से हाल ख0न0 583 रकबा 0.53 हैक०, व गत ख0न0 501 रकबा 1.19 हैक०, से हाल ख०न० 584 रकबा 1.19 हैक0, व गत ख0न0 502 रकबा 0.03 हैक०, से हाल ख0न0 585 रकबा 0.03 हैव०, व गत ख०न० 503 रकबा 0.02 हैक् से हाल ख0न0 586 रकबा 0.02 हैक०, व गत ख०न० 504 रकबा 1.20 हैक०, से हाल ख0न0 587 रकबा 1. 20 हैक०, व गत ख0न0 505 रकबा 1.04 हैक०, से हाल ख०न० 588 रकबा 1.04 हैव०, व गत ख0न0 505/611 रकबा 1.35 हैक०, से हाल ख०न० 591 रकबा 1.35 हैक०, व गत ख०न० 506 रकबा 0.25 हैक०, से हाल ख०न० 589 रकबा 0.25 हैक०, पैमूद हुये है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी का 1/2 भाग मिन प्रार्थी के पिता रामचन्द्र के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन प्रार्थीया के पिता रामचन्द्र के फौत होने के बाद, आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 3 के पिता व अप्रार्थी स0 4 ल0 7 के पिता व अप्रार्थी स0 8 व 9 व भूप को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है तथा आराजी पैत्रिक होने के कारण विवादित आराजी में मिन प्रार्थीया के हक हकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत बाई बर्थ रक्षित है। मिन प्रार्थीया के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है।

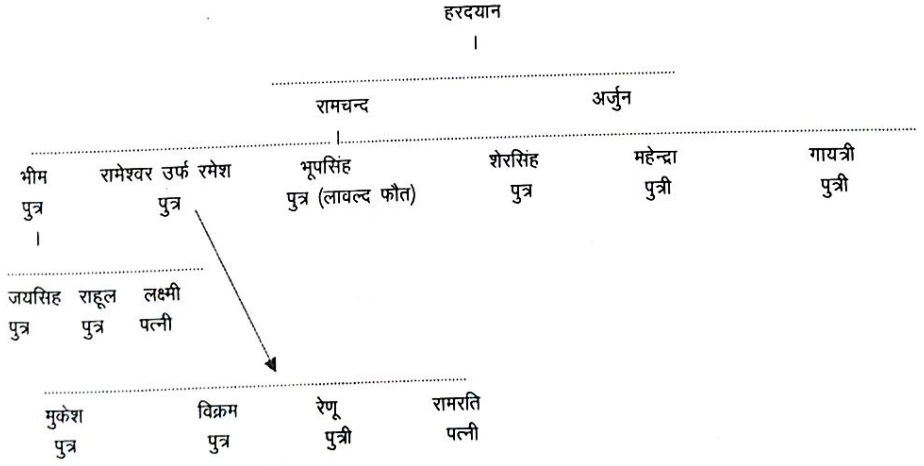

सहायक कलक्टर (का०प्र०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

5. यह है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थीया के पिता रामचन्द्र के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन प्रार्थीया के पिता के फौत होने पर आराजी मिन प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 1 ल0 3 के पिता व अप्रार्थी स0 4 ल0 7 के पिता व अप्रार्थी स0 8 व 9 व भूपसिंह को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है तथा मिन भूपसिंह बिला औरत नाओलाद फौत हो गया, इसलिए उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थीया का 1/5 भाग रहा है, जिस पर मिन प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर रही है।

6. यह है कि अप्रार्थी सं0 1 ल0 3 के पिता भीम व अप्रार्थी स० 4 ल0 7 के पिता रमेश उर्फ रामेश्वर व अप्रार्थी स0 8 शेरसिंह व भूप बड़े चतूर व चालाक प्रवृति के व्यक्ति थे, जिन्होने मिन प्रार्थीया के पिता के फौत होने के बाद, मिन प्रार्थीया के पिता की विरास्त इन्तकाल सं० 124 राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर बाला बाला तन्हा अपने नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज लिया तथा मिन प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 9 के नाम का अंकन नही कराया। इसलिए मिन प्रार्थीया इन्तकाल सं० 124 को अपने हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिलाकर, अपने आपकों विवादित आराजी में 1/5 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की मुश्तहक है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती मिन वादीयागण द्वारा पेश किया जा रहा है।

7. यह है कि अप्रार्थी स० 1 ल० 3 पिता भीम फौत हो गया है, जिसकी विरास्त अप्रार्थी स० 1 ल0 3 के नाम दर्ज हो गयी तथा अप्रार्थी स0 4 ल0 7 का पिता रमेश उर्फ रामेश्वर फौत हो गया, जिसकी विरास्त इन्तकाल दर्ज नहीं हुयी है तथा भूप लावल्द फौत हो गया, जिसके विधिक वारिस मिन वादीया व प्रतिवादी स० 1 ल0 9 है।

8. यह है कि मिन प्रार्थीया चूँकि अपने ससुराल में रहती है तथा समय समय पर अपनी आराजी में फसल काश्त करने आती है तथा आराजी की सार सम्भाल करती है, इसलिए मिन प्रार्थीया को उकत गलत इन्द्राज की कतई जानकारी नही थी, लेकिन अब दिनांक 15/7/2022 को मिन प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कार्य करने आयी तो अप्रार्थीगण ने आराजी में प्रवेश नहीं करने दिया, तथा कहा कि हमारे पिता ने आराजी की तन्हा विरास्त अपने नाम दर्ज करा ली थी तथा हमारे पिता के फौत होने पर आराजी हमारे नाम दर्ज हो गयी है, अब हम तुम्हे आराजी में प्रवेश नहीं करने देगे तथा आराजी से तुम्हे बेदखल कर, आराजी का दिगर लोगों को बेचान कर देगे, जिस पर मिन प्रार्थीया ने राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त की तो उक्त इन्द्राज की जानकारी हुई, जिस पर मिन प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने रिर्कोड दूरूस्त कराने से साफ मना कर दिया। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर (फा-ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

9. यह है कि आराजी मिन प्रार्थीया के पिता रामचन्द्र की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है, जो आराजी मिन प्रार्थीया को बाई बर्थ हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत जरिये विरास्त प्राप्त हुई है। जिसका अप्राथर्थी सं0 1 ल० 3 के पिता व अप्रार्थी स० 4 ल० 7 के पिता व अप्रार्थी स० 8 व भूप ने तन्हा इन्तकाल राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज कराया है तथा मिन प्रार्थी के नाम का अकन हजफ करा दिया तथा अप्रार्थी स० 1 ल० 3 के पिता के फौत होने पर आराजी अप्रार्थी स० 1ल० 3 के नाम दर्ज हो गयी है, इसलिए सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस आफॅ कन्वीनेंस मिन वादीया है तथा प्रतिवादीगण विवादित आराजी को बेचान कर, मिन वादीया को आराजी से बेदखल करना चाहते है। यदि वाकई अप्रार्थीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो गये और आराजी का बेचान कर दिया तो मिन प्रार्थीया को अजहद हानि होगी एवं अपूर्णीय क्षति की भरपाई रूपये से आंकना व किया जाना सम्भव नही होगा तथा दावा करना ही बैमायना जो जावेगा, चूँकि मिन प्रार्थीया के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थीया अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये हु० ई० से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 9 को ताःफेसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी हाल खं०न0 584 रकबा 0.1. 19 हैक्0, व ख0न0 583 रकबा 0.53 हैक्0, 590 रकबा 0.21 हैक्0, 588 रकबा 1.04 हैक्0, 587 रकबा 1.20 हैक्0, 589 रकबा 0.25 हैक्0, 591 रकबा 1.35 हैक्0, 585 रकबा 0.03 हैक्0, 586 रकबा 0.02 हैक्०, वाके ग्राम झझारपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज0 को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन प्रार्थीया को आराजी से बेदखल कर कब्जा करे, ना ही मिन प्रार्थीया के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, व उक्त विवादित आराजीयत के कोई भी दस्तावेजात पंजिबद्ध ना करावे, ना ही करे, व रिर्कोड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व अप्रार्थी सं० 10 व 11 को पाबन्द किया जावे कि वो उक्त आराजीयत के कोई भी दस्तावेज पंजिबद्ध नहीं करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। तामिल उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अप्रार्थी अप्रार्थी सं० 01 ने जबाव प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1. यह है कि दावे का पैरा संख्या 01 इतना सही है कि आराजी वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर में स्थित है शेष पैरा गलत है अस्वीकार है आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त एवं

सहायक कलक्टर (...)
मुण्डावर (खैरथल-...)

खातेदारी की है। जिसे वादीया ने अनावश्यक रूप से विवादित होना सम्बोधित किया है।

2. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 3 आराजी के मिलान क्षेत्रफल से संबंधित है जो राजस्व रिकोर्ड से ताईद किया जाना आवश्यक है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 4 गलत है अस्वीकार है। आराजी मुतनाजा में प्रार्थीया का हित व अधिकार नहीं है ना ही प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है। प्रार्थीया के पिता रामचन्द्र की फौतगी पर विरासत इंतकाल सं० 1981 में दर्ज हो गया था और इंतकाल दर्ज होने पर अप्रार्थीगण आराजी पर काबिज एवं दखिल होकर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी सं० 1 ने आराजी का विभाजन कर पृथक पृथक आराजी पर पृथक पृथक सिंचाई साधन बना रखे है इसलिये प्रार्थीया आराजी मुतनाजा में कोई शेयर मांगने व घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम सन् 2005 से पूर्व प्रार्थीया के पिता फौत हो गये थे इसलिये प्रार्थीया के पिता की विरासत सन् 1981 में दर्ज होने के समय किसी भी प्रकार अधिकार नहीं रखती थी प्रार्थीया ने इंतकाल दर्ज कराते समय व उसके बाद आराजी का विभाजन कराते समय व आराजी में सिंचाई साधन बनाते समय कोई उज्ज नहीं किया था आराजी पर प्रार्थीया का कभी कब्जा नहीं रहा ना ही आज मौके पर प्रार्थीया का कब्जा है। प्रार्थीया गैरकाबिज गैरवास्ता है प्रार्थीया ने सजरा खानदान गलत पेश किया है सजरा अधूरा पेश किया है। सजरा को अधूरा पेशकर वास्तविक तथ्यों को छिपाया है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 5 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीया विरासत के समय भी उक्त इंतकाल के बाबत जानकारी होते हुये कोई उज नहीं किया और सन् 1981 से ही इंतकाल दर्ज होने की जानकारी थी इसके बाद प्रार्थीया एवं प्रार्थीया की बहिन सांवित्री व गायत्री ने उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 30/06/2015 को होने के आधार पर इंतकाल सं० 124 के विरूद्ध अपील अदालत हाजा में पेश की गयी थी इसलिये प्रार्थीया एवं प्रार्थीया की बहिने उक्त आराजी बाबत बार बार मुकदमें करती रहती है और हर बार इंतकाल सं0 124 की जानकारी होने कि दिनांक अलग अलग दर्ज करते हुये बनावटी प्रार्थना पत्र हेतूक तैयार करती रहती है प्रार्थीया उक्त इंतकाल अपील में तरतीबी रेस्पोडेन्ट रही है और प्रार्थीया की बहिन सांवित्री व गायत्री अपीलान्ट रही थी बाद तलबी प्रार्थीया अनुपस्थित रही अब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने सांवित्री को पक्षकार ही नहीं बनाया है प्रार्थीया उक्त अपील में तरतीबी रेस्पोडेन्ट रही है इसलिये अब प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा कर दिया की अपील सांवित्री व गायत्री ने की थी उक्त अपील की जानकारी होने से भी प्रार्थीया मुकर कर नया

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थना पत्र हेतूक तैयार कर मियाद के बिन्दू से बचाव ले सके उक्त अपील अन्तिम रूप से फैसल दिनांक 01/02/2016 को हो चुकी है इसलिये एक ही आराजी के बाबत एक ही अनुतोष हक हकूक प्राप्त करने के लिये अलग अलग मुकदमें बार बार नहीं चलाये जा सकते है। प्रार्थीया अब प्रार्थना पत्र लाने से विवबंधित है। उक्त अपील का निर्णय अन्तिम रूप से निपट चुका है अब उसकी कोई अपील या निग्रानी विचाराधीन नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 6 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीया के तरतीबी रेस्पोडेन्ट रहते हुये इंतकाल सं0 124 की अपील फैसल हो चुकी है और अपील का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है अपील अपीलान्ट स्वीकार की गयी थी अपील अपीलान्ट स्वीकार होने पर प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से रूपयें लेकर राजीनामा कर लिया और पूर्व के इन्द्राजात यथावत रखे गये प्रार्थीया जब भी अप्रार्थीगण से नाराज हो जाती है आराजी के बाबत विवाद करने लगती है और कुछ रूपयें लेकर राजीनामा कर लेते है प्रार्थीया अपने परिवार व गांव के व्यक्तियों के समझाने से नहीं मानती है ससुरालजनो के समझाने से भी नहीं मानती है बार बार विवाद करने लगती है जबकि प्रार्थीया ने अपील स्वीकार होने पर भी अमल नहीं कराया क्योंकि उस समय कुछ रूपयें लेकर राजीनामा कर लिया अप्रार्थीगण ने सदभावना से उक्त लेन देन की लिखा पढी नहीं करायी इसलिये प्रार्थीया ने पुनः मौका पाकर प्रार्थना पत्र दायर कर दिया जबकि प्रार्थीया अब प्रार्थना पत्र दायर करने से विधिक रूप से विवबंधित है प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नहीं है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 7 इस कदर गलत है क्योंकि प्रार्थीया विवादित आराजी में अपना हिस्सा त्याग चुकी है अब कोई शेयर प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। प्रार्थीया का अब आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में शेरसिंह मृतक को पक्षकार बनाया है शेरसिंह पूर्व में ही फौत हो गया अपील इंतकाल में भी शेरसिंह का लावल्द फौत होना अंकित किया है एवं प्रार्थीया ने सांवित्री को किसी भी रूप में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अपील इंतकाल में अपीलान्ट के रूप में पक्षकार रही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र डिक्टिव होने से काबिल खारिज है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 8 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीया ने उक्त पैरा में समस्त तथ्य बनावटी अंकित किये है आराजी मुतनाजा में से अप्रार्थी सं० 1 ल0 3 ने कुछ खसरा नम्बर का बेचान दिनांक 14/07/2022 को नरेश पुत्र धर्मवीर निवासी हठुण्डी को अपनी पारिवारीक आवश्यकता के कारण किया है प्रार्थीया की मंशा है कि उक्त विकय प्रतिफल में से कुछ रकम प्रार्थीया को मिल जाये प्रार्थीया ने विकय के आधार पर

पुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

इंतकाल दर्ज होने से रोकने के लिये प्रार्थना पत्र दायर किया है कि केता विक्रेता पर दबाव बनायेगा कि मेरा इंतकाल रूक गया आप अपनी बहिन से राजीनामा करके प्रार्थना पत्र को विड्रा करावे प्रार्थीया को विकय की जानकारी होते ही तुरन्त प्रार्थना पत्र दायर कर दिया जबकि प्रार्थीया को उक्त इंतकाल सं0 124 जो कि 1981 में दर्ज होने कि जानकारी पूर्व से ही भलीभांति रही है पूर्व में प्रार्थीया व प्रार्थीया बहिनो द्वारा सन् 2015 में दिनांक 30/06/2015 को इंतकाल सं० 124 की जानकारी होने के आधार पर अपील पेश कर चुकी है इसलिये इंतकाल सं० 124 की जानकारी दिनांक 30/06/2015 को होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बेरून मियाद है प्रार्थना पत्र मियाद बहार पेश होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। घोषणात्मक प्रार्थना पत्र के लिये मियाद गलत इन्द्राजात की जानकारी से तीन वर्ष में पेश करने के लिये समय निर्धारित है। अब दिनांक 15/07/2022 को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 9 गलत है अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने कोई गलत इन्द्राज नहीं कराये ना ही कोई साज बाज किया इंतकाल विधिक रूप से सही दर्ज किया गया है इंतकाल विधिक प्रावधानो के अनुसार दर्ज किया गया है प्रार्थीया आराजी मुतनाजा में हक हकूक नहीं रखती है प्रार्थीया अनावश्यक रूप से विवाद फैला रही है प्रार्थीया ने अपनेअपने अधिकारो का अभिचन कर दिया है अब अनावश्यक रूप से बैयनामा के इंतकाल को रोकने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीया का ना तो आराजी पर कब्जा है ना ही रिकोर्ड से कोई संबंध है प्रार्थीया गैरकाबिज गैरवास्ता है ऐसी सूरत में रिकोडेर्ड खातेदार काबिज काश्तकार को हु० ई० दवामी से पाबंद नहीं कराया जा सकता है ना ही प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी चरण में अनुतोष चाहा कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी के किस कार्य के लिये पाबंद कराना चाहती है प्रार्थीया के अस्पष्ट अभिवचनो के कारण प्रार्थीया कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। रिकोडेर्ड खातेदार को अपना शेयर विक्रय करने से पाबंद नहीं कराया जा सकता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी दादालाई है। मुताबिक सजरा हरदयान हमारे दादा था। आराजी पैत्रिक होने के कारण विवादित आराजी में मिन वादीया के हक हकूक हिन्दू उत्तराधिकार

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अधिनियम के तहत बाई बर्थ रक्षित है। वादीया के पिता रामचन्द के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन वादीया के पिता के फौत होने पर आराजी मिन वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी 04 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 व भूपसिंह को जरिये विरास्त प्राप्त हूई है तथा भूपसिंह बिला औरत नाओलाद फौत हो गया, इसलिए उक्त विवादित आराजी में मिन वादीया का 1/5 भाग रहा है, जिस पर मिन वादीया काबिज होकर काश्त कर रही है। अप्रार्थी सं0 1 ल0 3 के पिता भीम व अप्रार्थी स० 4 ल0 7 के पिता रमेश उर्फ रामेश्वर व अप्रार्थी स0 8 शेरसिंह व भूप बड़े चतूर व चालाक प्रवृति के व्यक्ति थे, जिन्होने मिन प्रार्थीया के पिता के फौत होने के बाद, मिन प्रार्थीया के पिता की विरास्त इन्तकाल सं० 124 राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर बाला बाला तन्हा अपने नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज लिया तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 9 के नाम का अंकन नही कराया। इसलिए मिन प्रार्थीया इन्तकाल सं0 124 को अपने हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिलाकर, अपने आपकों विवादित आराजी में 1/5 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की मुश्तहक है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती मिन वादीयागण द्वारा पेश किया जा रहा है। यदी अप्रार्थीगण विवादित आराजी का बेचान कर देगे तो प्रार्थी को भारी हानी होने का अन्देशा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी दादालाई आराजी नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा में हम तीन बहनो का नाम नही है। श्रीमान न्यायालय के समक्ष वादी/प्रार्थी द्वारा अपील सन् 2015 में पेश की थी जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2016 को स्वीकार किया गया। जिसके पश्चात भाई बहनो का आपसी राजीनामा हो गया। उक्त अपील में अंकित आराजी खसरा नम्बर पर वादी/प्रार्थी द्वारा पुनः दावा प्रस्तुत किया गया। जो गलत है। अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित अपील की पालना करवाई जानी थी ना कि एक ओर वाद प्रस्तुत किया जाना था। प्रार्थी का इस कृत्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण को परेशान करना चाहती है। उक्त गलत इन्द्राज के बाबत की जानकारी प्रार्थी को सन् 2015 को हो चुकी थी। जानकारी के पश्चात इतने समय बाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी/प्रार्थी ने अपने वाद के समर्थन में विवादित आराजी का दादालाई होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी विवादित आराजी में खातेदार दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय के विभिन्न आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश से पाबन्द नही किया जा सकता है। जबकी

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी का नाम तो राजस्व रिकोर्ड में ही दर्ज नही है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्द कराने का अधिकार नही रखता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का जबाव का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी ने विवादित आराजी दादालाई होने बाबत का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता। किसी खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायउचित नही है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है एवं आराजी हाल खं0 न0 584 रकबा 0.1.19 हैक0, व ख0न0 583 रकबा 0.53 हैक0, 590 रकबा 0.21 हैक0, 588 रकबा 1.04 हैक0, 587 रकबा 1.20 हैक0, 589 रकबा 0.25 हैक0, 591 रकबा 1.35 हैक0, 585 रकबा 0.03 हैक0, 586 रकबा 0.02 हैक०, वाके ग्राम झझारपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज0 पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक ... (...ट्र०)
...वर (...ारा)

(सुरेश कुमार ब[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0